



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31012020-215839
CG-DL-W-31012020-215839

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 19—जनवरी 25, 2020, शनिवार/पौष 29— माघ 5, 1941
No. 03] NEW DELHI, JANUARY 19—JANUARY 25, 2020, SATURDAY/PAUSHA 29—MAGHA 5, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 07.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (केन्द्रीय न्याय-वैधक विज्ञान प्रयोगशाला वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद) भर्ती नियम 1974 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों में उपावृद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रॉस्थोटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट वर्ग-1	2* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिबीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में डिप्लोमा के पश्चात् किसी	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा

<p>मान्यताप्राप्त पुनर्वास या अंग फिटिंग केन्द्रों में छह माह की इंटर्नशिप।</p> <p>अनुभव: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी अस्पताल या संस्थान या संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान से प्रॉस्थोटिस्ट या ऑर्थोटिस्ट के रूप में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			<p>भरी जा सकेगी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रुपए) के पद या समतुल्य पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:</p> <p>(i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) कलावती सरन बाल अस्पताल में पीएमआर विभाग के अध्यक्ष - सदस्य;</p> <p>(iii) उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/05/2017-एमएच II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 2020

G.S.R. 13 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Prosthotist and Orthotist Grade-I in Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Prosthotist and Orthotist Grade-I (Group-'B'), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prosthotist and Orthotist Grade - I	2 (2020)* (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B'. Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) Bachelor Degree in Prosthetics and Orthotics from a recognised University or Institute; or (ii) Diploma in Prosthetics and Orthotics from a recognised Board or University or Institute followed by Internship of six months in any recognized Rehabilitation or Limb Fitting Centers. Experience : Two years of experience as Prosthotist or Orthotist from the Central Government or the State Government or Union territories or autonomous or statutory Hospital or Institute or organisations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates

	<p>otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital -Chairman;</p> <p>2. Head of PMR department in Kalawati Saran Children's Hospital -Member;</p> <p>3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.</p>	Not applicable

[F. No. A.12018/05/2017-MH-II]

G.P.SAMANTA, Under Secy.

be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshdweep.	(iii) One year experience of hospital work in fifty bedded hospitals. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (i) Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital -Chairperson; (ii) Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director Administration looking after the admin work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services. -Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/28/2019-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में प्रॉस्थोटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट वर्ग-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, प्रॉस्थोटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट वर्ग-1 (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।